भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3587

दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान के लिए निधि

3587. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण अभियान तथा किशोरियों हेतु योजना को तीन प्राथमिक कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई धनराशि 2019-20 में 825 करोड़ रुपये से घटाकर 2023-24 में 705 करोड़ रुपये कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य को जारी की जाने वाली निधि में कमी किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में उपरोक्त दो कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2019-20 से फरवरी 2025 तक जिलावार कितनी निधि जारी की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित और प्राप्त उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) 15वें वित्त आयोग के तहत कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत तीन प्राथमिक घटकों में निम्न प्रकार से शामिल किया गया है:

(i) 06 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएलएम); तथा आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण के लिए पोषण सहायता;

(ii) प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (0-3 वर्ष) के लिए प्रारंभिक उत्प्रेरणा;

(iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा;

(ख) से (घ): मिशन पोषण 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) की बैठकों के दौरान संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त एपीआईपी प्रस्तावों के आधार पर और योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार आवंटित की जाती हैं। तथापि, वास्तविक निधियां राज्य सरकार के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि और राज्य द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय के साथ-साथ एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) मानदंडों के अनुपालन को समायोजित करने के बाद एक वित्तीय वर्ष में जारी की जाती हैं। वित्त वर्ष 2019-20 से फरवरी, 2025 तक मिशन पोषण 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित/जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (28.02.2025 तक)**
825.24	701.82	744.60	827.79	705.68	521.79

(ङ) मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
- सतत स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

एनएफएचएस-5 (2019-21) और जनवरी 2025 (पोषण ट्रैकर से) में बच्चों में कुपोषण की स्थिति इस प्रकार है:

एनएफएचएस और पोषण ट्रैकर	**ठिगनापन%**	**अल्पवजन%**	**दुबलापन%**
एनएफएचएस-5 (2019-21)*	35.5	32.1	19.3
पोषण ट्रैकर (जनवरी 2025)*	39.61	16.95	5.43

बच्चों की आयु: (0-5 वर्ष)

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएफएचएस में दर्ज उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

मातृत्व स्वास्थ्य संकेतक	**एनएफएचएस 4**	**एनएफएचएस 5**
पहली तिमाही में प्रसवपूर्व जांच कराने वाली माताएं (%)	58.6	70.0
संस्थागत प्रसव	78.9	88.6
कुशल स्वास्थ्य कर्मियों (डॉक्टर/नर्स/एलएचवी/एएनएम/अन्य स्वास्थ्य कर्मियों) की देखरेख में हुए प्रसव (%)	81.4	89.4
प्रसव के 2 दिनों के भीतर डॉक्टर/नर्स/एलएचवी/एएनएम/ दाई/अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से प्रसव पश्चात देखभाल प्राप्त करने वाली माताएं (%)	62.4	81.7

****